REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264283 CG-DL-E-01072025-264283

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2886]नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947No. 2886]NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

**का.आ. 2953(अ).**— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ऐसे उद्योग की सेवाएँ खाद्य पदार्थों में लगे हुए हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 6 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5361(अ), तारीख 11 दिसंबर 2024 द्वारा तारीख 11 दिसंबर 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योगों को छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार का, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना अपेक्षित है, ऐसे उद्योगों, जो खाद्य पदार्थ में लगे हुए हैं की सेवाओं को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/07 /2024 -आईआर (पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

## New Delhi, the 1st July, 2025

**S.O. 2953(E).**— WHEREAS the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industries engaged in Food stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industries to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 11<sup>th</sup> December, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5361(E), dated the 11<sup>th</sup> December, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the said industries are declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services of the industries engaged in Food stuffs to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-11017/07/24-IR(PL)] AJOY SHARMA, Jt. Secy.